



2026:AHC:6989

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19333 वर्ष 2025

धीरज सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

मुख्य शासकीय अधिवक्ता, ओम प्रकाश मिश्रा

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और प्रतिवादी गणों के विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश मिश्रा को सुना।
2. प्रतिवादी गणों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि इस न्यायालय के पास उस मामले पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार क्षेत्र नहीं होगा जहां नई दिल्ली में परीक्षा आयोजित की गई थी और इसके अलावा, याचिकाकर्ता दिल्ली का निवासी है और प्रतिवादी संख्या 2

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जो दिल्ली में तैनात है, महानिदेशक, केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस बल (भर्ती शाखा), पूर्वी ब्लॉक-07, लेवल-04, सेक्टर-01, आर.के. पुरम, नई दिल्ली को नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

3. उक्त तथ्य पर रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवाद नहीं किया जा सकता है।

4. रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता के लिए इस मामले पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

जनवरी 12, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।